



चित्रकूट-पुलिस

(1).

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि

आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलों को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनांक 11.11.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा बीट प्रणाली का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय के चैंबर में थाना/चौकी में तैनात बीट पुलिस अधिकारियों की बीट बुक को चेक किया गया एवं बीट प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस रेगुलेशन के पैरा -63 के अनुसार कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से बताया गया तथा बीट अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार जैसे ग्राम प्रहरियों का दायित्व, सी-प्लान एप का उपयोग, बीट क्षेत्र में लाइसेन्स धारकों, पासपोर्ट धारकों, सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट बुक में दर्शाने, थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्मन, नोटिस, वारण्ट, प्रार्थना पत्र जांच, चरित्र सत्यापन, विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट, तामिला, क्षेत्रीय त्यौहारों एवं अन्य बीट कार्य के सम्बन्ध में पूँछा गया तथा विस्तृत रूप से बताया गया।

(3).

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त धीरज निषाद पुत्र कल्लू निषाद निवासी रंगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव
2. आरक्षी शुभम मिश्रा

(4). आवेदक कल्लू प्रसाद पाण्डेय पुत्र बद्री प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम बन्दरी थाना भरतकूप द्वारा अपनी पुत्री रन्नु देवी को दामाद अशोक गौतम पुत्र फूलचन्द्र गौतम निवासी सरैया थाना मानिकपुर द्वारा मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श टीम महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह, महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी, महिला आरक्षी अनामिका द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, घर से बाहर न निकालने, पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी। समझौता कराने वाली टीम:-

1. महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
2. महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी
3. महिला आरक्षी अनामिका

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा वाद संख्या 273/25 धारा 144(3) बीएनएसएस के वारंटी अभियुक्त रवि त्रिपाठी पुत्र शिवजतन त्रिपाठी निवासी खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राहुल पाण्डेय
2. आरक्षी मनीष यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका भारती रजक पत्नी विकास रजक उर्फ रोहित निवासी किंगसन स्कूल के पास कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष पति विकास रजक, सास, ससुर व ननद द्वारा मारपीट कर गाली गलौज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति-पत्नी आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी
2. महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी
3. महिला आरक्षी नीतू नायक

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यम पति त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 11.11.2025 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2025 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त 1. देवमन प्रधान पुत्र कोदा कोल निवासी डोडामाफी मारकुंडी 2. छोटा कोल उर्फ छोटवा कोल पुत्र स्व0 बाबूलाल कोल निवासी बहिलपुरवा थाना बहिलपुरवा 3. राजाराम कोल उर्फ श्याम कोल पुत्र रामकेश कोल निवासी केहुनिया थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपहता/अपहत की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 01 अपहता व 01 अपहत को सकुशल बरामद कर परिजनों को के सुपुर्द किया गया।

➡ उल्लेखनीय है कि दिनांक वादी हरीनारायण s/o राजकरन उपाध्याय थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि उनकी पुत्री अनामिका (14 वर्ष) दिनांक 04.11.25 को सुबह 8.45 को गांव के ही जूनियर विद्यालय में पढ़ने गई थी जो वापस घर नहीं आयी। इस सूचान पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 201/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

➡ वादी रामभरोसा पुत्र देवीदयाल द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि उनका नाती, अंशु, उम्र 13 वर्ष, कद 5.5, रंग गेहुआ, दिनांक 06/11/2025 समय लगभग सुबह के 10.30 बजे से लापता है, उसे आखिरी बार साईपुर स्कूल के पास देखा गया था। इस सूचना पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 205/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 11.11.025 को थाना पहाडी पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर दोनों गुमशुदा अपहता व अपहत को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।